रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 1973/कार्तिक 28, 1895

No. 278] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 1973/KARTIKA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTFICATION

New Delhi, the 19th November 1973

No. RS.7/4/73-L(2).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 220 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha), the Chairman, Rajya Sabha, hereby appoints the 15th day of November, 1973, as the date on which the amendment to the Rules published under Notification No. RS.7/4/73-L(1), dated the 19th November, 1973, in the Gazette of India Extraordinary of the 19th November, 1973, shall come into force.

B. N. BANERJEE,
Secretary-General.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1973

संख्या आर० एस० 7/4/73-एल (2).—राज्य परिषद् (राज्य सभा) के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 220 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति एतद्द्वारा नवम्बर, 1973 के 15वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिस दिन से भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 19 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना सं० आर० एस० 7/4/73—एल (1) दिनांक 19 नवम्बर, 1973 के अधीन प्रकाशित नियमों में संशोधन प्रवृत्त होंगे ।

बी० एन० बनर्जी,
महासचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1973